दिनांक – 16 जुलाई, 2026

राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी उपस्थित। परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्रीमती चन्दा तिवारी उपस्थित।

पत्रावली मजीद बहस प्रसंज्ञान के प्रक्रम पर प्रस्तुत हुई। मजीद बहस प्रसंज्ञान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता परिवादी के कथन रहे हैं कि परिवादी नरपतसिंह ने दिनांक – 17.07.2023 को थानाधिकारी, पुलिस थाना, दिवेर के समक्ष उपस्थित होकर एक रिपोर्ट प्रलेख प्रस्तुत कर रिपोर्ट प्रलेख की अन्तर्वस्तु में यह अन्तर्विष्ट किया कि परिवादी की क्रयशुदा/खातेदारी भूमि खाता क्रमांक – 10, 90, 145, 163 एवं खसरा क्रमांक – 204, 207, 108, 109, 96, 98, 174, 176, जिनकी रजिस्ट्री संलग्न है, जो कि शामिलाती खाते हैं, में सुशीला देवी के हिस्से की 7 बीस्वा भूमि को सुशीला देवी ने महिपालसिंह को विक्रय की, जिसकी जमाबंदी संलग्न है। दिनांक – 05.07.2023 को समय 02.00 P.M. पर परिवादी को दूरभाष के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि सुशीला देवी व महिपालसिंह ने एक राय होकर उक्त भूमि की दीवार गिरकर उन्हीं पत्थरों से एक स्थान पर अतिक्रमण कर मुख्य द्वार का एक भाग उठाकर ले गए। परिवादी व्यापार हेतु मुम्बई रहता है, जिसकी अनुपस्थिति का लाभ लेकर अभियुक्तगण ने उपर्युक्त कृत्य किया, इत्यादि। उक्त रिपोर्ट प्रलेख के आधार पर पुलिस थाना, दिवेर में प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक – 98/2023, अन्तर्गत धारा 447, 427 भारतीय दण्ड संहिता पंजीबद्ध कर, अनुसंधान आरम्भ किया तथा बाद अनुसंधान दिनांक – 30.10.2023 को अन्तिम प्रतिवेदन (झूठ) में न्यायालय के समक्ष इन आधारों पर प्रस्तुत किया कि –

सुशीला देवी के पति की मृत्योपरान्त पैतृक भूमि सुशीला देवी व उसकी संतानों के नाम नामान्तरित हुई। सुशीला देवी व उसकी संतानों ने खसरा क्रमांक – 174, जो सुशीला देवी व उसकी संतानों के हिस्से में आई, में से कुछ भू–भाग नरपतसिंह, दरशपथसिंह व महिपालसिंह को विक्रय किया व कुछ भू–भाग सुशीला देवी के पास रहा। विक्रयशुदा भू–भाग की रजिस्ट्री करवा दी गई, परन्तु किसे कौनसा भू–भाग विक्रय किया, बंटवारा नहीं किया गया। उक्त भूमि सुशीला देवी व उसकी संतानों के शामिलाती खाते में है।

खातेदार पृथक्–पथक् भू–भाग पर काबिज नहीं हुए। इसी कृषि भूमि के समीप सुशीला देवी व उसकी संतानों के नाम की भूमि पूर्व में, जिसका हिस्सा किया था, दोनों कृषि भूमि की एक ही फाटक थी, जो सुशीला देवी के पूर्वी हिस्से वाली कृषि भूमि पर लगी थी। जिस कृषि भूमि का विक्रय किया गया, उसका मार्ग भी इसी फाटक से जाता है। सुशील ने अपने दूसरी कृषि भूमि के पत्थरों की दीवार लगाई है, वह दीवार सुशीला देवी ने मार्ग छोड़कर दीवार बनाई है। सुशीला देवी ने कथन किया कि उक्त दरवाजा दोनों के मध्य में मार्ग छोड़ा है, पर लगा देंगं। सुशीला देवी ने जिन पत्थरों की दीवार लगाई है, उक्त पत्थर सुशीला देवी द्वारा लाया जाना पाया गया। वहाँ कोई पत्थर नहीं होना पाया गया है। भूमि पर कोई फसल नहीं है, चारा उगा हुआ है। घटनास्थल पर दरवाजा व पत्थर सुशीला देवी के ही होना पाया गया, कोई रिष्टी कारित होना नहीं पाया गया। परिवादी ने रंजिशवश प्रकरण पंजीबद्ध करवाया जाना पाया गया।

जिसके विरोध में परिवादी नरपतसिंह ने विरोध याचिका प्रस्तुत कर अनुसंधान एवं अन्तिम प्रतिवेदन से असंतुष्टि प्रकट करते हुए निवेदन किया कि प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी ने बिना ठोस अनुसंधान के ही नकारात्मक अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। अनुसंधान अधिकारी ने परिवादी एवं साक्षीगण के कथन कथनानुसार अंकित नहीं करते हुए, मनमर्जी से मिथ्या तथ्य अंकित किए। अतः परिवादी की विरोध याचिका स्वीकार करते हुए हस्तगत अन्तिम प्रतिवेदन, अदम वकु (झूठ) को अस्वीकार कर अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया जाए।

अपनी विरोध याचिका के समर्थन में परीक्षित ए.ड. 1 नरपतसिंह ने कथन किया कि ग्राम बियाना में साक्षी की क्रयशुदा कृषि भूमि खाता क्रमांक – 10, 90, 145, 163; खसरा क्रमांक – 204, 207, 108, 109, 96, 98, 174, 176 स्थित है, जहाँ साक्षी ने दरवाजा लगाया है, जिसकी जमाबंदी साक्षी के नाम है। उक्त भूमि साक्षी ने सुशीला देवी से क्रय की थी, जिसकी जमाबंदी व विक्रय–पत्र न्यायालय पत्रावली पर संलग्न है। उक्त भूमि पर क्रय दिनांक से साक्षी का कब्जा व स्वामित्व है, जिसका साक्षी उपयोग–उपभोग करता आ रहा है। सुशीला देवी महिपालसिंह ने साक्षी की उक्त भूमि पर जबरन प्रविष्ट होकर चारदीवारी में दरवाजे की ओर से पत्थरों की दीवार गिरा दी व

फाटक का एक भाग तोड़कर ले गए। दरवाजा ले जाने से जानवर साक्षी की भूमि में प्रविष्ट हो गए, जिससे साक्षी को राशि 40,000/– रुपये की रिष्टी कारित हुई, जिसके संदर्भवश साक्षी ने दिनांक – 11.07.2023 को थाने पर रिपोर्ट प्रस्तुत की, परन्तु पुलिस ने अभियुक्त से मिलकर प्रकरण में नकारात्मक अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। पुलिस ने साक्षीगण की साक्ष्य कथनानुसार लेखबद्ध नहीं की। साक्षी की 25 फीट लम्बी 20 फीट चौड़ी भूमि मुख्य मार्ग की ओर व दरवाजे के भीतर की ओर 25 फिट लम्बी व 08 फिट चौड़ी भूमि पर अभियुक्तगण ने जबरन कब्जा कर लिया। गिराई हुई चारदीवारी के पत्थर भी ले गए, जिससे साक्षी को आर्थिक हानि कारित हुई। रजिस्ट्री के समय गुलाबसिंह व नारायणसिंह उपस्थित थे, गुलाबसिंह ने घटना देखी।

इसी प्रकार ए.ड. 2 गुलाबसिंह ने साक्ष्य लेखबद्ध करवाई कि ग्राम बियाना में नरपतसिंह की क्रयशुदा कृषि भूमि खाता क्रमांक – 10, 90, 145, 163; खसरा क्रमांक – 204, 207, 108, 109, 96, 98, 174, 176 स्थित है, जो उसने सुशीला देवी से दिनांक – 14.12.2021 को क्रय की थी। साक्षी की भूमि उक्त भूमि के समीपस्थ होने से साक्षी उक्त भूमि की ओर आता–जाता रहता है। नरपतसिंह ने उक्त भूमि के दरवाजा लगवाया था। नरपतसिंह ने कृषि भूमि के आगे की ओर 20 फिट दीवार बनवाई थी, जहाँ उसने 2 फाटकें लगवाई थी। फाटक 12 फिट की थी। साक्षी अपनी कृषि भूमि की ओर जा रहा था, तब साक्षी ने देखा कि सुशीला देवी, महिपालसिंह श्रमिकों सहित दरवाजे की ओर की दीवार गिरा रहा था, तब साक्षी ने उक्त घटना की सूचना दूरभाष के माध्यम से नरपतसिंह को दी थी। दरवाजा गिराने से उनकी भूमि में आवारा मवेशी प्रविष्ट हो गए, जिससे उसे राशि 40,000/– रुपये की रिष्टी कारित हुई। नरपतसिंह ने भूमि क्रय की, तब से भूमि पर उसी का कब्जा था व राजस्व अभिलेख में उसी का नाम है। तोड़ी हुई दीवार के पत्थर भी वहाँ से ले गए। रजिस्ट्री के समय साक्षी उपस्थित था।

इस प्रकार ए.ड. 3 नारायणसिंह ने कथन किया है कि ग्राम बियाना में नरपतसिंह की क्रयशुदा कृषि भूमि खाता क्रमांक – 10, 90, 145, 163; खसरा क्रमांक – 204, 207, 108, 109, 96, 98, 174, 176 स्थित है, जो उसने सुशीला देवी से विक्रय–पत्र के माध्यम से दिनांक – 14.12.2021 को क्रय की थी। नरपतसिंह ने उक्त भूमि के दरवाजा लगवाया था। नरपतसिंह

ने कृषि भूमि के आगे की ओर 20 फिट दीवार बनवाई थी, जहाँ उसने 2 फाटकें लगवाई थी। फाटक 12 फिट की थी। गुलाबसिंह अपनी कृषि भूमि की ओर जा रहा था, तब उसने देखा कि सुशीला देवी, महिपालसिंह श्रमिकों सहित दरवाजे की ओर की दीवार गिरा रहा था, तब उसने उक्त घटना की सूचना दूरभाष के माध्यम से नरपतसिंह व साक्षी को दी थी, जिसपर साक्षी घटनास्थल पर पहुँचा। दरवाजा गिराने से उनकी भूमि में आवारा मवेशी प्रविष्ट हो गए, जिससे उसे राशि 40,000/– रुपये की रिष्टी कारित हुई। नरपतसिंह ने भूमि क्रय की, तब से भूमि पर उसी का कब्जा था व राजस्व अभिलेख में उसी का नाम है। तोड़ी हुई दीवार के पत्थर भी वहाँ से ले गए। रजिस्ट्री के समय साक्षी उपस्थित था।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस प्रसंज्ञान सुनने, पत्रावली के अवलोकन करने से न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट होते हैं कि सुशीला देवी से विक्रय–पत्र के माध्यम से दिनांक – 14.12.2021 को ग्राम बियाना स्थित कृषि भूमि खाता क्रमांक – 10, 90, 145, 163; खसरा क्रमांक – 204, 207, 108, 109, 96, 98, 174, 176 को नरपतसिंह ने क्रय की, जिसपर सुशीला देवी व नरपतसिंह का शामिलाती कब्जा है, जिसका विधिवत् बंटवारा नहीं हुआ है। अनुसंधान अधिकारी ने परिवादी द्वारा सुशीला देवी से उक्त भूमि क्रय किया जाना स्वीकार किया है तथा परिवादी का मौके पर कब्जा होना भी प्रथम दृष्टया दर्शित आता है। मौके पर लगी परिवादी की फाटक व पत्थर सुशीला देवी व महिपालसिंह द्वारा हटाए गए अथवा नहीं, यह तथ्य साक्ष्योपरान्त ही निर्णित किया जा सकता है। अतः अभियुक्तगण सुशीला देवी व महिपालसिंह के विरुद्ध धारा 447, 427 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जाता है।

इस प्रकार पुलिस थाना दिवेर में पंजीबद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक – 98/2023 में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन अदम वकु (झूठ) अस्वीकार कर अभियुक्तगण सुशीला देवी व महिपालसिंह के विरुद्ध धारा 447, 427 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाता है। प्रकरण दाण्डिक नियमित दर्ज रजिस्टर हो। अभियोजन अधिकारी को

प्रकरण में पैरवी की हिदायत दी जाती है कि वे आगामी तारीख पेशी तक साक्ष्य सूची प्रस्तुत करें।

अभियुक्तगण सुशीला देवी व महिपालसिंह को सम्मन के माध्यम से तलब किया जाकर पत्रावली हाजरी अभियुक्तगण हेतु दिनांक – 25.09.2026 को प्रस्तुत हो।

(श्रीमती चारण आशा)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देवगढ़, जिला राजसमंद